<u>समाचार</u>

चिमनीभट्ठा मोहल्ले में जप्त किए गए 12 टुल्लू पम्प

कोरबा 24 मई 2025 – नलों में टुल्लू पंप लगाकर पेयजल की सुचारू व्यवस्था में बाधक बनने वालों पर निगम ने कार्यवाही करते हुए वार्ड क्र. 14 चिमनीभट्ठा में 12 टुल्लू पंप की जप्ती आज फिर की है तथा संबंधितों को चेतावनी दी है कि वह दोबारा टुल्लू पंप न लगाये अन्यथा और अधिक कड़ी कार्रवाई होगी, अर्थदंड भी लगेगा तथा नल कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही भी की जाएगी।

यहां उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा नियमित रूप से सुबह शाम दिन में दो बार शुद्ध पेयजल की आपूर्ति वितरण पाईप लाईन व नल कनेक्शन के माध्यम से निगम क्षेत्र के वार्ड व बस्तियों में की जाती है, निगम का प्रयास रहता है कि सभी घरों में पर्याप्त रूप से पानी पहुंचे तथा नागरिकों को पेयजल को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े , किंतु कतिपय लोगों द्वारा अपने नल कनेक्शन में टुल्लू पंप लगाकर अपने घरों में ज्यादा पानी खींचा जाता है , जिससे अन्य लोगों के घरों में पानी का प्रेशर कम हो जाता है तथा उन्हें आवश्यकता के अनुरूप पानी नहीं मिल पाता है, इस दिशा में आवश्यक कदम उठाते हुए निगम के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बस्तियों में भ्रमण कर निरीक्षण किया जा रहा है तथा जिन लोगों द्वारा टुल्लू पम्प लगाकर पानी खींचा जा रहा है, उनके टुल्लू पम्पों को जप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। शुक्रवार को वार्ड क्र. 06 करामत अली गली में 08 नग टुल्लू पंप जप्त किए गए थे, इसी कड़ी में आज निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने वार्ड क्र. 14 चिमनीभट्ठा मोहल्ले में 12 नग टुल्लू पम्प जप्त किए।

<u>नियमित की जा रही पर जल शुद्धता की जांच –</u> नगर निगम कोरबा के पेयजल विभाग के द्वारा संपूर्ण निगम क्षेत्र के विभिन्न निर्धारित प्वाइंटों पर नियमित रूप से पेयजल शुद्धता की जांच की जा रही है इस हेतु विभिन्न बस्तियों में बिछाई गई पेयजल वितरण पाइपलाइन के विभिन्न प्वाइंटों से पानी के नमूने लेकर उनका मौके पर ही वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया जा रहा है तथा यह

सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपूर्त किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप हो ।